मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. कैलाश पुत्र सोनाथ
2. प्रहलाद पुत्र सोनाथ
3. घीसालाल पुत्र सोनाथ
   तमाम जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———वादीगण

♠बनाम♠

1. गुलाबी पत्नि राजू
2. गणेश पुत्र राजू
3. लाली पुत्री राजू
   तमाम जाति माली निवासी बघेरा हाल निवासी चारभुजा मन्दिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. टीकमचन्द पुत्र शोभागमल
5. मिलापचन्द पुत्र लादूलाल
   तमाम जाति महाजन निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
7. सत्यनारायण जाट पुत्र किशनलाल जाट निवासी बघेरा जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

मुकदमा नम्बरः—राजस्व वाद 52/2017 (2017/00064)
निर्णय दिनांकः—20.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री मुरलीधर शर्मा अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि विक्रयपत्र दिनांक 24.01.1975 में साबिक खसरा नम्बर 675 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा में से 9 बीघा 5 बिस्वा का लेख्यकर्ता सोनाथ व राजू द्वारा टीकमचन्द व मिलापचन्द के हक में बैचान किया गया है साथ ही विक्रयपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कि इसी खसरे की बकाया 9 बीघा 5 बिस्वा आराजी का मालिक लेख्यकर्ता सोनाथ रहेगा तथा आराजी उसके कब्जे व काश्त में रहेगी व लेख्यकर्ता राजू का बकाया 9 बीघा 5 बिस्वा आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नही रहेगा। विक्रयपत्र दिनांक 24.01.1975 में अंकित तथ्यों अनुसार राजू का साबिक खसरा नम्बर 675 के बाद बैचान शेष रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा पर कोई हक अधिकार नही होते हुए भी उक्त साविक खसरा नम्बर 675 के हाल खसरा नम्बर 1611 व 1612 के 1/4 हिस्से पर राजू के नाम नामांतकरण स्वीकृत हुआ है जो कतई गलत है। विक्रयपत्र दिनांक 19.01.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें राजू के वारिसान द्वारा खसरा नम्बर 1611, 1612 का 1/4 हिस्सा का सत्यनारायण पुत्र किशनलाल जाट के पक्ष में बैचान किया गया है। विक्रयपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नही होते हुए एवं दौराने वाद विचाराधीन होते हुए भी राजू के वारिसान गुलाबी, गणेश व पार्वती जो कि प्रकरण में प्रतिवादीगण है द्वारा दिनांक 19.01.2022 को खसरा नम्बर 1611, 1612 का 1/4 हिस्सा का सत्यनारायण जाट पुत्र किशनलाल जाट निवासी बघेरा तहसील केकड़ी के पक्ष में बैचान किया गया है जो कतई गलत (ab initio void) है। अतः वादीगण का वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादवर्णित आराजीयात, वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के हाल खसरा नम्बर 1611, 1612 किता 2

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 3.00 हैक्टर में प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 7 हिस्सा 1/4 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 7 के 1/4 हिस्से का भी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

चीज .....मुबलिक.....बाबत्.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.06.2023 को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 52/2017 (2017/00064)

1. कैलाश पुत्र सोनाथ
2. प्रहलाद पुत्र सोनाथ
3. घीसालाल पुत्र सोनाथ

तमाम जाति माली निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———वादीगण

♠वनाम♠

1. गुलाबी पत्नि राजू
2. गणेश पुत्र राजू
3. लाली पुत्री राजू

तमाम जाति माली निवासी बघेरा हाल निवासी चारभुजा मन्दिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

4. टीकमचन्द पुत्र शोभागमल
5. मिलापचन्द पुत्र लादूलाल

तमाम जाति महाजन निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
7. सत्यनारायण जाट पुत्र किशनलाल जाट निवासी बघेरा जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री मुरलीधर शर्मा — अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 20/06/2023

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नप्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
529—524	1611	1.22	बारानी 1
	1612	1.78	बारानी 1
	किता 2	रकबा 3.00 हैक्टर	

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार उक्त खसरा नम्बर राजू ने सन् 1975 में अपने हिस्से की जमीन जो 1/2 हिस्सा था प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के बेचान कर दिया। सोनाथ की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है तथा राजू भी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है—

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

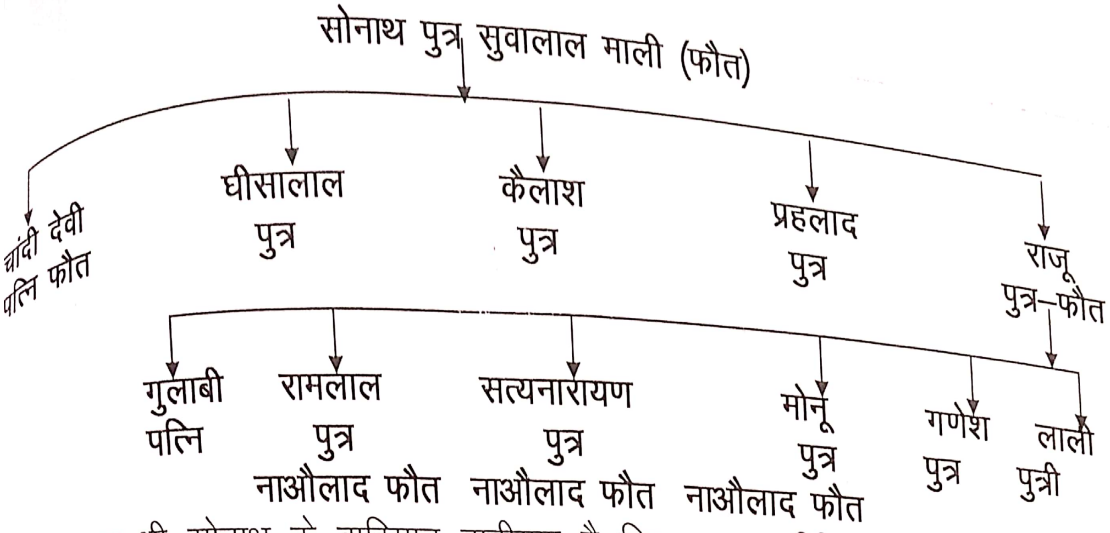

आज भी सोनाथ के वारिसान वादीगण है जिसका वादवर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नही है, न हो सकता है। प्रतिवादीगण की नियत बद हो गई है। प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से सांठगांठ एवं मिलीभगत करके सोनाथ के वारिसान के हिस्से की आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा पर फर्जी नामान्तकरण दर्ज करवा दिया तथा इस नामान्तकरण के आधार पर अवैध तरीके से उक्त 1/4 हिस्से की आराजी को बेचान करने पर उतारू हो रहा है। वादीगण अपने हिस्से की आराजी की के.सी.सी. बनवाने के लिए पटवार हल्का में जमाबन्दी निकलवाई तो मालूम हुआ कि उक्त आराजी जो वादीगण की है, जिसमें प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने फर्जी नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है। दिनांक 02.03.2017 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से अनुरोध किया गया कि आप द्वारा हमारी आराजी में से नाजायज एवं विधि विरूद्ध तरीके से 1/4 हिस्से का नामान्तकरण अपने नाम करवाया है, उसे वापस हमारे नाम दर्ज करवा दें तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा आराजी को बेचान करने की कहा तथा आये दिन ऐलानियां धमकियां देते है व अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है जिससे उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। वादवर्णित आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और वादीगण ही काश्त कर फसल प्राप्त करते चले आ रहे हैं। कब्जे की वास्तविक स्थिति से संबंधित मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है। एवं राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करते हुए वादवर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम जो 1/4 हिस्से का नामान्तकरण खोला गया है उसे विलोपित करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण बावदूज सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार वादवर्णित आराजी खातेदारी भूमि है, राजहित प्रभावित नही होता है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया गया जिस पर सुना जाकर श्री सत्यनारायण पुत्र किशनलाल जाट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया एवं जवाब हेतु समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली शहादत वादी में नीयत की जाकर गवाह श्री कैलाश पुत्र सोनाथ, श्री रामदयाल पुत्र लादू एवं गवाह पीडब्ल्यू1 श्री घीसालाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी

सोनाथ माली के शपथपत्र पेश किये जाकर वादी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में लिखित बहस पेश की गई।

वादी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को उजागर करते हुए निवेदन किया कि पत्रावली में आदेश व निर्णय से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अवैध एवं नाजायज रूप से प्रतिवादी संख्या 7 को आराजी बैचान कर दी गई। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो प्रदर्श पी1 जमावन्दी संवत 2069 से 72, प्रदर्श पी2 जमाबन्दी संवत 2069–72, प्रदर्श पी3 ग्राम पंचायत बघेरा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, प्रदर्श पी4 असल विक्रयपत्र दिनांक 24.01.1975, प्रदर्श पी5 विक्रयपत्र दिनांक 19.01.2022 की फोटोप्रति, प्रदर्श पी6 जमावन्दी संवत 2073–76, प्रदर्श पी7 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी8 जमाबन्दी संवत 2041 है। वादवर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाकर 1/2 आराजी के वादीगण को वहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

–:आदेश:–

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत फर्द दस्तावेजात, वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। विक्रयपत्र दिनांक 24.01.1975 में साविक खसरा नम्बर 675 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा में से 9 बीघा 5 बिस्वा का लेख्यकर्ता सोनाथ व राजू द्वारा टीकमचन्द व मिलापचन्द के हक में बैचान किया गया है साथ ही विक्रयपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कि इसी खसरे की बकाया 9 बीघा 5 बिस्वा आराजी का मालिक लेख्यकर्ता सोनाथ रहेगा तथा आराजी उसके कब्जे व काश्त में रहेगी व लेख्यकर्ता राजू का बकाया 9 बीघा 5 बिस्वा आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नही रहेगा। विक्रयपत्र दिनांक 24.01.1975 में अंकित तथ्यों अनुसार राजू का साबिक खसरा नम्बर 675 के बाद बैचान शेष रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा पर कोई हक अधिकार नही होते हुए भी उक्त साबिक खसरा नम्बर 675 के हाल खसरा नम्बर 1611 व 1612 के 1/4 हिस्से पर राजू के नाम नामांतकरण स्वीकृत हुआ है जो कतई गलत है। विक्रयपत्र दिनांक 19.01.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें राजू के वारिसान द्वारा खसरा नम्बर 1611, 1612 का 1/4 हिस्सा का सत्यनारायण पुत्र किशनलाल जाट के पक्ष में बैचान किया गया है। विक्रयपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नही होते हुए एवं दौराने वाद विचाराधीन होते हुए भी राजू के वारिसान गुलाबी, गणेश व पार्वती जो कि प्रकरण में प्रतिवादीगण है द्वारा दिनांक 19.01.2022 को खसरा नम्बर 1611, 1612 का 1/4 हिस्सा का सत्यनारायण जाट पुत्र किशनलाल जाट निवासी बघेरा तहसील केकड़ी के पक्ष में बैचान किया गया है जो कतई गलत (ab initio void) है। अतः वादीगण का वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर के हाल खसरा नम्बर 1611, 1612 किता 2 कुल रकबा 3.00 हैक्टर में प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 7 हिस्सा 1/4 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 7 के 1/4 हिस्से का भी वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी नियमानुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी